संख्या–4019/22–4–2010–48(60)/10

प्रेषक,

सत्य प्रकाश पंखा,
उप सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग–4 लखनऊःदिनांक– 01 फरवरी,,2011

विषयः– जिला कारागार, एटा में अल्प वयस्क कारागार की वर्तमान मुख्य प्राचीर की ऊँचाई में वृद्धि किये जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–33029/नम–3 दिनांक–20–12–2010 में किये गये ''जिला कारागार, एटा में अल्प वयस्क कारागार की वर्तमान मुख्य प्राचीर की ऊँचाई वृद्धि'' संबधी प्रस्ताव आगणन लागत रु0–17,36,000.00 (रूपये सत्रह लाख छत्तीस हजार मात्र) पर सम्यक् विचारोपरान्त महामहिम राज्यपाल वर्तमान वित्तीय वर्ष 2010–2011 में उक्त निर्माण हेतु रु0–17,36,000.00 (रूपये सत्रह लाख छत्तीस हजार मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए इसके सापेक्ष रु0–8,68,000.00 (रूपये–आठ लाख अड़सठ हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किए जाने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान करते हैं:–

(क) आगणन में प्रस्तावित मात्राओं, प्राविधानों और डिजाईन के युक्तियुक्त होने, वास्तविक आवश्यकता के आधार पर आधारित होने, मानकीकरण आदेशों के अनुरूप होने एवं नियमानुसार होने का दायित्व कार्यदायी संस्था राजकीय निर्माण निगम एवं महानिरीक्षक, कारागार का होगा।

(ख) मुख्य प्राचीर में वृद्धि के परिकल्पन का उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।

(ग) महानिरीक्षक कारागार निर्माण कार्यो की वित्तीय/भौतिक प्रगति की मासिक आख्या नियमित रूप से शासन को भेजना सुनिश्चित करेंगें।

(घ) संबंधित निर्माण इकाई से निर्माण कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता प्रत्येक दशा में सुनिश्चित कराने का दायित्व महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं का होगा।

8739/vs4/11
P-15
03.2–11
(ज्ञान सिंह)
विशेष सचिव
गृह विभाग
उ0 प्र0 शासन।

PTO

(ङ) स्वीकृत धनराशि के त्रैमासिक प्रगति विवरण/उपयोगिता/पूर्णता प्रमाण पत्र एवं अन्य संबंधित विवरण पूर्व प्रेषित निर्देशों के अनुसार निर्धारित प्रारूपों पर तथा नियमित रूप से यथा समय महानिरीक्षक, कारागार द्वारा शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।

(च) परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन आदि के संबंध में वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या बी–1–2658/ दस–2000 दिनांक 10 जुलाई, 2002, शासकीय निर्माण कार्यो के संपादन विषयक वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–8 के शासनादेश संख्या ई–8–215/दस–1998 दिनांक 9 मार्च, 1998 एवं तद्नुक्रम में जारी अनुवर्ती शासनादेशों में दिए गए निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा और समस्त निर्माण कार्य प्रक्रिया और नियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए सम्पन्न कराये जायेंगे।

(छ) निर्माण कार्यों के लिए किसी भी दशा में स्वीकृत/अनुमोदित धनराशि से अधिक का व्यय नहीं किया जायेगा और स्वीकृत/अनुमोदित धनराशि का व्यय आगणन में स्वीकृत कार्यो के लिए ही किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों तथा समय–समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(ज) आगणन में अनुमोदित समस्त निर्माण कार्यों को चालू वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत प्रत्येक दशा में पूर्ण कराया जायेगा तथा भविष्य में इस कार्य हेतु पुनरीक्षण स्वीकार नहीं होगा। मानक, विशिष्टियॉ व गुणवत्ता का उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था राजकीय निर्माण निगम एवं महानिरीक्षक, कारागार का होगा।

(झ) कारागार में अनावासीय भवनो का निर्माण शासनादेश संख्या–749/22–4–06–48(12)/05 दिनांक–29 जून, 2006 द्वारा निर्धारित मानचित्र, मानक, कुर्सी क्षेत्रफल एवं विशिष्टियों के आधार पर कराया जायेगा।

(ट) निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सक्षम स्तर से निर्माण कार्यो की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।

(ठ) अवमुक्त की जा रही धनराशि एकमुश्त न आहरित करके दो किश्तों में आहरित की जायेगी तथा दूसरी किश्त का आहरण पहली किश्त के रूप में आहरित की गयी धनराशि के 75 प्रतिशत उपयोग के बाद कार्य की भौतिक प्रगति एवं गुणवत्ता से संतुष्ट होने पर किया जायेगा।

(ङ) महानिरीक्षक, कारागार द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि स्वीकृत किए जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और न ही यह कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित हैं।

2– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या 25 के लेखा शीर्षक 4059–लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय–80–सामान्य–051–निर्माण–03–कारागारों का उच्चीकरण, नवीनीकरण एवं जीर्णोद्धार–24– वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा और उक्त लेखाशीर्षक/मद में उपलब्ध प्रावधान से ही वहन किया जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या ई–12–246/दस–2011 दिनांक–28.01.2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(सत्य प्रकाश पंखा)
उप सचिव।

संख्या–4019 (1)/22–4–2010–तद् दिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– प्रधान महालेखाकार (सिविल–आडिट), उ0प्र0,इलाहाबाद।
2– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ.प्र.,इलाहाबाद।
3– प्रबंध, निदेशक, राजकीय निर्माण निगम, लखनऊ।
4– वित्त नियंत्रक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,उ0प्र, लखनऊ।
5– जिलाधिकारी, एटा।
6– मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7– निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
8– वेबमास्टर, गृह विभाग, उ0प्र0शासन।
9– गृह (पुलिस) अनुभाग–15
10– वित्त(व्ययनियंत्रण)अनुभाग–12/वित्त(आय–व्ययक) अनुभाग–1/2
11– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सत्य प्रकाश पंखा)
उप सचिव।